प्रश्न सं. [क्र. 829]

विधान सभा तरांकित प्रश्न क्रमांक 829 द्वारा श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य विधानसभा

मैहर जिला सहकारी कर्मचारी यूनियन इकाई जिला मैहर (म0प्र0)

कमांक/2026/क्यू मैहर, दिनांक 19.01.2026

ज्ञापन

प्रति,

प्रमुख सचिव महोदय,
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल

द्वारा :– कलेक्टर महोदया, जिला मैहर

विषय.– हमारी वैध मांगों के निराकरण बावत।

महोदय,

हम सभी अधोहस्ताक्षरकर्ता गणों का निवेदन है कि हम सभी मैहर जिला अंतर्गत् प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कर्मचारीगण है। हमें खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में मैहर जिले में धान उपार्जन का कार्य सौंपा गया है। हमारी निम्न वैधानिक मांगे हैं, जिनका निराकरण श्रीमान के स्तर पर करने का निवेदन है:–

1. यह कि म0प्र0 शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय से जारी परिपत्र कमांक FCS/43/4/0003/2025/29–1/2437 भोपाल दिनांक 30 अक्टूबर 2025 द्वारा खरीफ विपणन र्ष 2025–26 हेतु धान एवं अन्य जीन्स के उपार्जन हेतु परिशिष्ट–अ में SOP जारी की गई है, जिसकी कंडिका 12.6.2 में हमारे द्वारा R2T एवं Day Closer report करने के 24 घण्टे के भीतर उपार्जन एजेन्सी के जिला अधिकारी द्वारा परिवहन आदेश जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है तथा कंडिका 12.6.3 में परिवहन आदेश जारी होने के 72 घण्टे में स्कंध का परिवहन कराने की अनिवार्यता निर्धारित की गई है, लेकिन अनुबंधित परिवहनकर्ता द्वारा कई दिवसों की धान को R2T करने के उपरांत भी न तो परिवहन कराया जा रहा हे और न ही कोई स्थानापन्न व्यवस्था की जा रही है, जिससे प्रतिदिन धान की सूखत बढ़ रही है।
2. यह कि अनुबंधित परिवहनकर्ता द्वारा ट्रक नहीं भेजे जाने से पूरे दिन लेबर बैठी रहती है जिससे लेबर को बिना कार्य के अनावश्यक मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है, जिससे हमें आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। हमें परिवहन नहीं करने वाले दिनों की क्षति दिलाई जावे।
3. यह कि जिला उपार्जन एजेन्सी द्वारा धान उपार्जन हेतु जिन नए वारदानो की आपूर्ति की गई है, उसमें कई बोरियों में 38 से 39 किलो की धान ही समाहित हो पाती है जबकि SOP की कंडिका 11.3.6 में किसानो से ली गई उपज का 40 किलो के वारदानें में भर्ती किए जाने का निर्देश है तथा इस हेतु बनाए गए साफ्टवेयर में भी 40 किलो धान की गणना का प्रावधान किया गया है जिससे अंतर की मात्रा की पूर्ति हेतु प्रत्येक टीसी में हमारे द्वारा अतिरिक्त वारदानों को भेजा जाता है, इससे न केवल प्रति बोरी के मान से लेबर की मजदूरी अतिरिक्त रुप से देनी पड़ती है अपितु अतिरिक्त बोरी खपत की राशि की वसूली भी हम पर अधिरोपित होती है। हमारा निवेदन है कि टीसी एवं चालान में दर्ज अनुसार उस अतिरिक्त रुप से लगे बारदानों का समायोजन टीसी एवं चालान अनुसार किया जावे

जिसकी राशि की कटौती संस्थाओं से न की जावे तथा अतिरिक्त बारदानों की मजदूरी का भुगतान भी हमें किया जावे।

4. यह कि किसानों द्वारा धान के विक्रय के समय 17 प्रतिशत की अधिकतम नमी तक लिए जाने का प्रावधान किया गया है लेकिन अनुबंधित परिवहनकर्ता द्वारा समय से उठाव नहीं करने तथा 10 से 15 दिन की देरी से उठाव पर नमी का प्रतिशत 9 से 10 प्रतिशत तक रह जाता है जिससे धान की सूखत पर हमें शार्टेज का सामना करना पड़ता है। हम सभी की मांग है कि हमें कम से कम 5 प्रतिशत सूखत का फायदा दिलाया जावे तथा अनुबंधित परिवहनकर्ता द्वारा समय से उठाव नहीं करने पर अधिरोपित दण्ड राशि का भुगतान हमें कराया जावे।
5. यह कि अनुबंधित परिवहनकर्ता द्वारा समय से उठाव नहीं करने पर समितियों को अनुबंधित दरों पर धान के उठाव की अनुमति दी जावे जिसका भुगतान अधिकतम 07 दिवसों में कराया जावे। समितियों के स्तर पर धान की सुरक्षा की एक सीमा तय की जावे जिससे अधिक सीमा पर धान का उठाव नहीं होने पर किसी भी आपदा या प्राकृतिक प्रकोप पर नुकसान की समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित परिवहनकर्ता एवं जिला उपार्जन एजेन्सी पर डाली जावे।

हमारा निवेदन है कि हमारी उपरोक्त वैधानिक मांगो पर त्वरित विचार कर कार्यवाही करने की कृपा हो, तथा SOP की कंडिकाओं के उल्लंघन पर किसी और के दोष का अधिरोपण हम पर न किया जावे तथा दोषियों पर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जावे।

प्रार्थीगण

क.	उपार्जन समिति का नाम	उपार्जन प्रभारी का नाम	हस्ताक्षर
1	मरमानी कलां	कुन्जबिहारी पटेल	
2	रामनगर	पुरुषोत्तम दास	
3	गजारा क्र. 01	दीपक चतुर्वेदी	
4	गजारा क्र.02 बड़ाइया	दीपक चतुर्वेदी	
5	नगौनी	राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा	
6	गोविन्दपुर	कमलेश प्रसाद पटेल	
7	मनकीसर	वीरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	
8	गुलवार कुम्हारी(अमरपाटन)	रामसुशील पटेल	
9			
10			
11			
12			
13			

THE DISTRICT MAGISTRATE OFFICE MAIHAR (M.P.)

19/8/16

अनुभाग अधिकारी,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय